

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.09.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-53 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विसुन पुत्र हुसैनी, 02. सूरज पुत्र तितई नि० हजियापुर कुरैना मौजा गनेशपुर ग्रण्ट, 03. दुःख हरन उर्फ काने पुत्र राम चन्दर नि० गढी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध शराब बरामद कर मु०अ०सं०-284/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नन्हके मिश्रा पुत्र देवव्रत मिश्रा नि० आटा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध शराब बरामद कर मु०अ०सं०-277/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने गस्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त कल्लू उर्फ अमित कुमार सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह नि० कलहंसपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०-278/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने छेड़छाड करने के आरोपी अभियुक्त नानबाबू पुत्र रामप्रसाद नि० भगहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-125/20, धारा 354ख.504 भादवि, 9R/10 पाक्सो एक्ट व 3(1)W SC-ST Act के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड किया था तथा लड़की द्वारा विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गुप्ता दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खरगूपुर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
दिनांक 21.09.2020
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

➔ **अवैध असलहा फैक्ट्री का भड़ाफोड , 05 अदद निर्मित, 01 अदद अर्द्धनिर्मित असलहा एवं कारतूस सहित भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार—:**

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

01. जयराम वर्मा पुत्र रामदत्त वर्मा नि० रेहरा मौजा बसन्तपुर तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. ननके उर्फ अमरनाथ वर्मा पुत्र रामदत्त वर्मा नि० रेहरा मौजा बसन्तपुर तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
03. श्रीराम वर्मा पुत्र रामदत्त वर्मा नि० रेहरा मौजा बसन्तपुर तिवारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण—

01. 03 अदद तमंचा 12 बोर
02. 01 अदद तमंचा 315 बोर
03. 01 अदद तमंचा 32 बोर
04. 01 अदद अर्द्ध निर्मित तमंचा।
05. 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
06. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
07. 05 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
08. 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर।
09. शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-399/20, धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय के जनपद आगमन के पश्चात अवैध शस्त्र की तस्करी व उनके निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों व जनपद की स्वाट टीम को दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात व स्वाट की संयुक्त टीम ने सुरागरसी पतारसी कर अवैध असलहो के निर्माण व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के सम्बंध में अहम जानकारियां हासिल कर गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है।

दिनांक 20/21.09.2020 की रात्रि थाना को० देहात व स्वाट की संयुक्त टीम क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी, कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त **जयराम पुत्र रामदत्त अपने भाईयों के साथ** भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य अपने घर के पिछले हिस्से

में कर रहा है। इस सूचना पर थाना को० देहात व स्वाट की संयुक्त टीम ने दबिश देकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह काफी दिनों से अवैध शस्त्र फैक्टरी अपने घर में लगा रखी है और वहीं से असलहो का निर्माण कर बिक्री करते हैं। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को० देहात पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक को० देहात जे०बी सिंह।
02. उ०नि० अतुल चतुर्वेदी प्रभारी स्वाट टीम।
03. उ०नि० कामेश्वर राय।
04. उ०नि० रमेश यादव।
05. हेड का० रामप्रसेन सिंह।
06. हेड का० श्रीनाथ शुक्ला (स्वाट टीम)
07. का० मुलायम यादव।
08. का० राजेन्द्र।
09. का० आदित्य पाल।
10. का० अरविन्द।
11. का० हृदय नरायण दीक्षित (सर्विलांस सेल)

